न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00151

1. देवीलाल आत्मज श्री हीरालाल जी जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. केली बाई पुत्री हीरालाल जी जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. कल्याणी बाई पुत्री हीरालाल जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. सीता बाई पुत्री हीरालाल जी जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—अपीलान्ट

बनाम

1. हीरालाल आत्मज श्री कंवरलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से उक्त अपील में ।
2. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट की ओर से उक्त अपील में।

निर्णय **दिनांक: 27.01.2023**

1. अपीलान्टगण द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजि0 कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट वादी द्वारा जरिये वकील एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम जोधपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित गत खसरा नं. 140 रकबा 2 बीघा जिसका हाल खसरा नं. 273 रकबा 0.34 हेक्टर आराजी वादी को दिनांक 25.10. 1977 को आवंटन हुई थी और मौके पर कब्जा संभलाया था तभी से वादी उक्त आराजीयात पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त चला आ रहा है। अलोटमेन्ट के पश्चात नियमानुसार विवादित आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में रेस्पोन्डेन्ट वादी के खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। जिसकी पुष्टि नकल जमाबन्दी सं 2034–37 से होती है। इसके बाद

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित आराजीयात के खसरा नम्बर बदलकर नये खसरा नम्बर 273 रकबा 0.34 हैक्टर दर्ज करते हुये राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीवात को सहवन से अपीलांटगण प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के पिता हीरालाल आत्मज भंवरलाल के नाम दर्ज कर दिया जिसकी पुष्टि जमाबन्दी भू –प्रबन्ध विभाग सं. 2038–57 से होती है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित आराजीयात को अपीलांटगण प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के पिता के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के पश्चात हीरालाल आत्मज भंवरलाल का देहान्त हो गया और उनके देहान्त के बाद नियमानुसार राजस्व अभिलेख में जर्ये फौती इन्तकाल मृतक हीरालाल आत्मज भंवरलाल के वारिसान देवीलाल पुत्र हीरालाल, केली बाई, कल्याणी बाई, सीता बाई पुत्रियां हीरालाल व पाना बाई बेवा हीरालाल का नाम दर्ज हो गया जिसके पश्चात स्व. हीरालाल की पत्नी पानाबाई का भी देहान्त हो गया जिस पर नामान्तकरण सं. 230 दिनांक 12.01.2007 से राजस्व अभिलेख से पाना बाई बेवा हीरालाल का नाम डिल्टि कर दिया गया और तत्पश्चात स्व. हीरालाल आत्मज भंवरलाल के पुत्र व पुत्रियां अपीलांटगण प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 विवादित आराजीयात के राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज हो गये। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात खसरा नं. गत 140 रकबा 2 बीघा रेस्पोडेन्ट वादी को आवंटन हुई थी और आवंटन के पश्चात् नियमानुसार राजस्व अभिलेख में उसके खाते दर्ज हो गयी किन्तु रेस्पोडेन्ट वादी व अपीलांट प्रतिवादीगण के स्वर्गीय पिता का का एक ही नाम, एक ही जाति व एक ही गांव होने की वजह से भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन रेस्पोडेन्ट वादी के स्थान पर अपीलांट प्रतिवादीगण के पिता के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी गई किन्तु बवक्त अलॉटमेन्ट के आज तक विवादित आराजी पर निरन्तर एवं अबाध रूप से रेस्पोडेन्ट वादी ही बहैसियत मालिक काबिज काश्त चला आ रहा है। भू प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम अधिकारी की सहमति अथवा स्वीकृति के विवादित आराजीयात के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम हटा कर उसके स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के पिता के नाम दर्ज करने का तथा विवादित भूमि के पुराने खसरा नं. के स्थान पर नये खसरा नम्बर दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी एक अनपढ ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे लम्बे समय तक तथ्यों की जानकारी नहीं हो सकी किन्तु कुछ दिन पूर्व हल्का पटवारी द्वारा उसे उपरोक्त वर्णित तथ्यों की जानकारी देने पर वादी द्वारा तहसीलदार जी से विवादित आराजीयात को पुनः अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु उप तहसील मण्डाना द्वारा सक्षम न्यायालय से नियमानुसार कार्यवाही कर राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाने हेतु निर्देश दिये तदनुसार वादी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 का नाम दर्ज कर देने से उनकी नियत में बदनियति आ गई है और वे सभी इसी आधार पर अपने आपको विवादित भूमि का मालिक बताते हुये वादी को विवादित भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है। इसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे प्रकरण में कायम की गई तनकीयात के विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि वादी हीरालाल पुत्र कंवरलाल को दिनांक 25.10.1977 को ग्राम जोधपुरा के खसरा नं. 140 रकबा 2 बीघा का आवंटन हुआ (आवंटन पत्र प्रदर्श–8) जिसका अमल दरामद जमाबन्दी संवत 2034–2037 (प्रदर्श–1) में

हो रहा है। प्रतिवादी क्रम 1 देवीलाल आत्मज हीरालाल द्वारा भी न्यायालय में दिनांक 05.11.2014 को दौराने जिरह स्वीकार किया गया कि "मैं प्रदर्श डी–1 को ही आवंटन पत्र मान रहा हूँ। आवंटन के बाद यह जमीन मेरे पिताजी के नाम दर्ज हो गई थी। नकल जमाबन्दी किसी ने नहीं मांगी इसलिये मैने पेश नहीं की। मेरे नाम से इंतकाल खुल गया है। कब खुला मुझे पता नहीं है। पिताजी के मरने के बाद मेरे खाते में आ गई है" के आधार पर प्रतिवादी क्रम द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग के पर्चा लगान में अपना नाम होने के आधार पर जमाबन्दी संवत् 2038–2057 में अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा आगामी जमाबन्दियों में तदनुसार ही नाम दर्ज होता रहा, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम जोधपुरा, पटवार मण्डल मांदलिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नं. 273 या 0.34 से देवीलाल केलीबाई, कल्याणी बाई, सीता बाई पिसरान हीरालाल पुत्र भंवरिया, जाति मीणा, निवासी ग्राम जोधपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, का नाम हटाकर हीरालाल पुत्र कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम जोधपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गए। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करने के आदेश दिए गए।

4. परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 80/2011 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.01.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने अपनी अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त करने का कथन किया।

5. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

6. उक्त अपील में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि निर्णय एवम डिकी जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। और प्रतिवादीगण अपीलान्ट के खाते की आराजी पुराना ख० न० 140 जिसका हाल खसरा नम्बर 273 रकबा 0.34 हेक्टर स्थित है को वादीगण अपीलान्ट के खाते से हटाकर रेस्पो० के खाते दर्ज करने का निर्णय एवं डिकी जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो० यह कथन करके आया है कि पुराना ख० न० 140 में से 2 बीघा आराजी उसे आवंटित हुई थी जिसका नया खसरा नम्बर 273 कायम हुआ है तथा जिसका रकबा 0.34 हेक्टर है उसे आवंटित की गई थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो० द्वारा न तो पुरानी जमाबंदी पुराना नक्शा ट्रेस व फर्द मिलान पेश नहीं किया गया है। जब कि वादग्रस्त आराजी का ख० न० 140 बड़ा चक था। जिसमे से भूमि आवंटित हुई है जो ख० न० 273 बना है उसकी आवंटित व उसके कब्जे की आराजी का नम्बर है यह तथ्य प्रमाणित नहीं है। इसके विपरीत प्रतिवादी अपीलान्ट ने अपना जवाब व कान्टर क्लेम कलीन हेन्ड मय दस्तावेज अदालत मे आया है और अपने क्लेम व जवाब में स्पष्ट अंकित किया है कि आराजी ख० न० 140 जो कि एक बड़ा चक है उसमे 2 बीघा आराजी अपीलान्ट के पिता स्व०हीरालाल आत्मज श्री भंवरलाल जी के खाते की आराजी है तथा लगातार भूमि पर जब तक हीरालाल पुत्र भंवरलाल जीवित रहे वह काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद से अपीलान्ट उक्त आराजी पर बहैसियत मालिक टेनेन्ट काबिज काश्त है। अपीलान्ट ने अपने पक्ष समर्थन मे पूर्व जमाबंदी पर्चा सेटलमेन्ट नई जमाबंदी पेश की है तथा अपने

कब्जे की अपनी साक्ष्य से पूर्ण ताईद की है। इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम खारिज करते हुवे प्रतिवादी अपीलान्ट का दावा डिक्री करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट वादी के पिता हीरालाल वल्द कंवरलाल को दिनांक 25.10.1977 को उक्त आराजी आवंटित हुई है तथा वह अपना कब्जा बताकर आ रहा है लेकिन 140 के पुराना नम्बर जो कि काफी बड़ा चक है उसका कौनसी साईड का हिस्सा उसे आवंटित हुआ उसका क्या नम्बर वह नही बताकर वह प्रति० रेस्पो० के पिता की आराजी ख० न० 140 हाल ख० न0 273 रकबा 0.34 हेक्टर आराजी को अपनी बताकर तथा सेटलमेन्ट के द्वारा गलत रूप से स्व० हीरालाल वल्द भंवरलाल के खाते दर्ज करने का कथन करके आया है जो वह किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड राजस्व ट्रेस नक्शा नया व पुराना से प्रमाणित नहीं कर पाया है इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पो० का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है। जब कि उक्त राजस्व रिकार्ड को सेटलमेन्ट के बाद न तो वादी के पिता ने चेलेन्ज किया ना ही काफी समय तक वादी ने चेलेन्ज किया काफी समय बाद देरीना वाद पेश किया है जिसको स्वीकार करने मे अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

7. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अलोटमेन्ट के पश्चात् नियमानुसार विवादित आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में रेस्पोन्डेन्ट वादी के खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। जिसकी पुष्टि नकल जमाबन्दी सं 2034–37 से होती है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित आराजीयात के खसरा नम्बर बदलकर नये खसरा नम्बर 273 रकबा 0.34 हैक्टर दर्ज करते हुये राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी को सहवन से अपीलांटगण 1 लगायत 4 के पिता हीरालाल आत्मज भंवरलाल के नाम दर्ज कर दिया जिसकी पुष्टि जमाबन्दी भू –प्रबन्ध विभाग सं. 2038–57 से होती है। तत्पश्चात स्व. हीरालाल आत्मज भंवरलाल के पुत्र व पुत्रियां अपीलांटगण प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 विवादित आराजीयात के राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज हो गये। जिसके कम में वाद अधिनस्थ न्यायालय पेश किया और वहां पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन करने व साक्ष्यों के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जोधपुरा, पटवार मण्डल मांदलिया, तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नं. 273 या 0.34 से देवीलाल केलीबाई, कल्याणी बाई, सीता बाई पिसरान हीरालाल पुत्र भंवरिया, जाति मीणा, निवासी ग्राम जोधपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, का नाम हटाकर हीरालाल पुत्र कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम जोधपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा का नाम दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया है।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्वक मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेज प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत 2034 से 2037 जिसमे ग्राम जोधपुरा की खाता संख्या 96 मे दर्ज आराजी संख्या 140 रकबा 2 बीघा खातेदार हीरालाल पुत्र कंवरलाल जाति मीना साकिन जोधपुरा के नाम दर्ज है। प्रदर्श–2 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57 जिसमे साबिक खसरा संख्या 140 रकबा 2 बीघा के नवीन खसरा संख्या 273 रकबा 0.34 हैक्टेयर बने है। प्रदर्श–3 नजरी नक्शा आराजी संख्या 273 सन् 1978 से 79 का है। प्रदर्श–4 भू–प्रबंध जमाबंदी सम्वत 2038 से सम्वत 2057 जिसमे ग्राम जोधपुरा की खाता संख्या 88 मे दर्ज आराजी

सख्या 273 रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितिय हीरालाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा साकिन हेह गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–5 जमाबंदी भू–प्रबंध सम्वत 2038 से सम्वत 2057 ग्राम जोधपुरा की खाता संख्या 59 मे दर्ज आराजी संख्या 92, 93, 97, 151, 154, 185, 188, 300 कुल किता 8 कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर हीरालाल पुत्र भंवरिया जाति मीणा साकिन देह खातेदार दर्ज रेकॉर्ड है। प्रदर्श–6 जमाबंदी भू–प्रबंध सम्वत 2047 से 2050 ग्राम जोधपुरा की खाता सख्या 81 मे दर्ज आराजी खसरा संख्या 92, 93, 97, 151, 185, 188, 300 के अतिरिक्त अंकित नोट "नामा0 स0 37 खातेदार" से खसरा संख्या 273 रकबा 0.34 हैक्टेयर जोड़ते हुए कुल किता 9 कुल रकबा 3.02 हैक्टेयर दर्ज रेकॉर्ड है। प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 ग्राम जोधपुरा की खाता संख्या 49 मे दर्ज आराजी संख्या 92, 93, 97, 151, 154, 185, 188, 273, 300 कुल किता 9 कुल रकबा 3.02 हैक्टेयर खातेदार देवीलाल पुत्र हीरालाल व केलीबाई,कल्याणीबाई, सीताबाई पुत्रियां व पानाबाई बेवा हीरालाल जाति मीना सा0 देह हिस्सा बराबर दर्ज है। प्रदर्श–8 आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1977 ग्राम जोधपुरा की आराजी संख्या 140 रकबा 2 बीघा आवंटी हीरालाल पिता कंवरलाल जाति मीना निवासी जोधपुरा को आवंटित होना वर्णित है। साक्ष्य शपथ–पत्र पी0डब्ल्यु 1, पी0डब्ल्यु 2, बयान गवाह डी डब्ल्यु–2 का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुराना खसरा नंबर 140 जिसका हाल खसरा नंबर 273 रकबा 0.34 है। अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत काउंटर क्लेम में स्पष्ट अंकित किया है कि आराजी खसरा नंबर 140 जो कि एक बड़ा चक है उसमें 2 बीघा आराजी अपीलांट के पिता स्वर्गीय हीरालाल आत्मज श्री भंवरलाल के खाते की आराजी है। अपीलांट का कथन है कि साबिक खसरा संख्या 140 काफी बड़ा चक है। वादी को कौन सी साइड का हिस्सा आवंटित हुआ यह स्पष्ट नहीं है। प्रदर्श–8 से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 140 की 2 बीघा भूमि हीरालाल पुत्र कंवरलाल मीणा निवासी जोधपुरा तहसील लाडपुरा की आवंटित हुई थी। नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 140 रकबा 2 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 273 रकबा 0.34 हैक्टेयर बने है। प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 में स्पष्टतः खसरा संख्या 140 रकबा 2 बीघा हीरालाल पुत्र कंवरलाल के नाम खातेदारी मे दर्ज है। भू–आवंटन नियम 1970 के तहत भूमिहीन कृषक को ही कृषि भूमि आवंटन किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रदर्श–8 पर उपलब्ध भू–आवंटन पत्र दिनांक 25.10.1977 के अनुसार ग्राम जोधपुरा की खसरा सख्या 140 रकबा 2 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट हीरालाल पुत्र कंवरलाल जाति मीणा निवासी जोधपुरा को आवंटन होना स्पष्ट होता है। अपीलांटगण प्रतिवादीगण अपने पिता हीरालाल पुत्र भंवरिया उर्फ भंवरलाल जाति मीणा निवासी जोधपुरा को भू–आवंटन होने के संबंध मे किसी प्रकार का भू–आवंटन पत्र अथवा राजस्व रेकॉर्ड अपने पक्ष में पेश नहीं कर पाये है, जिससे यह सिद्ध कर सके की विवादित भूमि उनके खाते में सेटलमेंट विभाग ने किस आधार पर दर्ज की? काउंटर क्लेम को सिद्ध करने में प्रतिवादीगण असफल रहे। अपीलांट ने अपील के साथ भी कोई ऐसा राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे कि यह सिद्ध कर पाए कि भू–प्रबंध विभाग ने उक्त भूमि प्रदर्श–4 पर संलग्न खतौनी संवत् 2038 से 2057 में किस प्रकार या किस आधार पर दर्ज की? अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता एवं हीरालाल आत्मज श्री भंवरलाल के खाते की है। परंतु उक्त कथन के समर्थन में कोई ठोस राजस्व दस्तावेज या अन्य ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है केवल मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है। वादी रेस्पो. रिकार्ड व तथ्यों के आधार

पर अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहे। हम अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 से सहमत है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजि0 कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 बहाल रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2017/00151

1. देवीलाल आत्मज श्री हीरालाल जी जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. केली बाई पुत्री हीरालाल जी जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. कल्याणी बाई पुत्री हीरालाल जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. सीता बाई पुत्री हीरालाल जी जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलान्ट

बनाम

1. हीरालाल आत्मज श्री कंवरलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०

——रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 80/2011

1. हीरालाल आत्मज श्री कंवरलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०

– वादी

बनाम

1. देवीलाल आत्मज श्री हीरालाल
2. केली बाई पुत्री हीरालाल
3. कल्याणी बाई पुत्री हीरालाल
4. सीता बाई पुत्री हीरालाल
   जाति मीणा, निवासी जोधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 80/2011 में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (कोटा), जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 27.01.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री रामरतन मीणा, एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्याशंकर गोस्वामी उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजि0 कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 80/2011 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 27.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा